

राजस्थानसरकार
निदेशालय कोष एवंलेखाराजस्थान, जयपुर

“ ए ” ब्लॉक, वित्तभवन, ज्योतिनगर, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-III/734

दिनांक :- 31/3/18

आदेश संख्या : 421 / 17-18

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करे।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिताका नाम रोलनं.-मेरिटक्रमांक/वर्ष	जन्मतिथि श्रेणी	पदस्थापनकार्यालय	अभ्यर्थीका फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAHENDRA SAINI KAILASH CHAND 520949 1832/2013	29-Nov-89 BC, RG, ME	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) (15056), TREASURIES AND ACCOUNTS, MASUDA, AJMER	
2.	DEEPAK KAUSHIK HUKAM CHAND SHARMA 415871 2811/2013	08-Nov-85 GE, RG, ME	TEHSILDAR - 17162, REVENUE DEPARTMENT, BHARATPUR, BHARATPUR	
3.	MANOJ KUMAR SHARMA BANWARI LAL SHARMA 522883 2882/2013	02-Jun-90 GE, RG, ME	SUB TREASURY OFFICER (33299), TREASURIES AND ACCOUNTS, ARAI, AJMER	
4.	DINESH KUMAR CHEJARA SHANKAR LAL CHEJARA 579068 2983/2013	04-May-83 BC, RG, ME	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) (13340), TREASURIES AND ACCOUNTS, DOONGLA, CHITTORGARH	
5.	ANISH KUMAR SHARMA RAM BHAZ SHARMA 870685 2134/2013	25-Jul-89 GE, ME	C.E.O. ZILA PARISHAD (RDC) (28386), PANCHAYATI RAJ, JAIPUR, JAIPUR	
6.	ANKUR JAISANSARIA MURARI LAL 506745 2539/2013	12-Feb-84 GE, RG, ME	UIDSSMT SUB DIV OFFICE - 3000273, RUSDIP, SARDARSHAHAR, CHURU	

97

7.	ARVIND KUMAR SHARMA VINAY KUMAR SHARMA 506867 2685/2013	24-Jan-86 GE, RG, ME	TREASURY OFFICER (1102), TREASURIES AND ACCOUNTS, CHURU , CHURU	
8.	JITENDRA KUMAR SHARMA SHRI LAL SHARMA 862756 3033/2013	10-Nov-82 BC, ME	COMMISSIONER (5133), EDUCATION (HIGHER), JAIPUR, JAIPUR	
9.	GAYATRI PRAKASH CHAND KUMAWAT 635354 3049/2013	25-Aug-90 BC, WE, RG, ME, NG	DISTRICT EDUCATION OFFICER I - 12261, EDUCATION (SECONDARY), NAGAU, NAGAU	
10.	GOVIND SINGH SITA RAM 571681 2406/2013	08-Dec-90 BC, ME	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) (6834), TREASURIES AND ACCOUNTS, GANGRAR, CHITTORGARH	
11.	RAJENDRA SINGH RATHORE RAM SINGH RATHORE 841343 1549/2013	06-Aug-87 GE, RG, ME, NG	TREASURY OFFICER - 1126, TREASURIES AND ACCOUNTS, SIROHI, SIROHI	
12.	HEERASHANKAR SHARMA RAMAKANT SHARMA 461714 2742/2013	28-Jun-88 GE, RG, ME	BLOCK RESOURCE CENTRE SSA (1000145), RAJASTHAN COUNCIL OF ELEMENTARY EDUCATION (EX CADRE POSTS), BAYANA, BHARATPUR	

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जा रही है:-

- उक्त नियुक्ति प्रक्रिया एस.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 604/2018 राजेन्द्र सिंह राठौड़ व अन्य बनाम श्री डी.बी. गुप्ता व अन्य तथा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 605/2018 महेन्द्र सेनी व अन्य बनाम डी.बी. गुप्ता व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 23.03.2018 की पालना में प्रारम्भ की जा रही है।
- उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्य मुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- राज्य सरकार के परिपत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होगी। यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की

2

- शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
4. कार्य ग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रुपये के नॉनज्यूडिशियल ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
 5. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे-मेट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
 6. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
 7. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिलास्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्चस्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
 8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
 9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
 10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
 11. उक्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन रहेंगी तथा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7239/2017 सुरेन्द्र कुमार व्यास व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2017 के विरुद्ध माननीय खण्डपीठ, जोधपुर में दायर की जाने वाली विशेष अपील (याचिका) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी तथा एस.बी. सिविल रिट याचिका 10608/2017 में एकलपीठ के निर्णय दिनांक 05.02.2018 के विरुद्ध एवं एस.बी. सिविल रिट याचिका 4071/2017 महेन्द्र सैनी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में एकलपीठ के निर्णय दिनांक 29.01.2018 के विरुद्ध माननीय खण्डपीठ में दायर की जाने वाली विशेष अपील (याचिका) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायालयों में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिए जाने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी।
 12. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियां एवं प्रशिक्षण पर हुये

व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र प्रशिक्षण से पूर्व निष्पादित करेंगे।

13. उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे-III/ 734
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक :- 31.3.18

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर को उनके पत्र सं. एफ.7(63) एफ.डी./एल.सी./2017 दिनांक 27.03.18 के क्रम में।
5. अतिरिक्त निदेशक (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिती प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिती स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
10. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
11. रक्षित /निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक
(कार्मिक-III)